सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :.NCST/ATY-1578/JH/5/2024-APCR

दिनांक : 13.05.2025

सेवा में,

1. उपायुक्त,
   जिला –लोहरदगा,
   प्रथम तल, कलेक्ट्रेट,
   लोहरदगा, झारखंड -835302
   ईमेल : dc-loh@nic.in

2. पुलिस अधीक्षक,
   जिला –लोहरदगा,
   पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
   लोहरदगा, झारखंड -835302
   ईमेल : sp-lohardaga@jhpolice.gov.in

विषय: झारखंड राज्य के लोहरदगा ज़िले अंतर्गत जोरी गाँव में मुस्लिम समुदाय के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा जनजातीय समाज के पूजन स्थलों पर अतिक्रमण करने, उन्हें अपवित्र करने एवं अपमानित करने के संबंध में श्री सुखनाथ उरांव, ग्राम प्रधान, जोरी गाँव, जिला - लोहरदगा, झारखंड तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा संयुक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जो श्री समीर उरांव, माननीय सांसद (राज्य सभा) के पत्र दिनांक 04.01.2024 के माध्यम से प्राप्त हुआ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दल द्वारा दिनांक 11.03.2025 को किए गए दौरे की रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि दौरे की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई/अनुपालन रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

(वाई.पी. यादव /Y.P.Yadav)
उप सचिव/ Deputy Secretary
ईमेल : rahul.1424@ncst.nic.in
फोन न : 011-24645826

NIC

प्रतिलिपि

श्री सुखनाथ उरांव,
ग्राम प्रधान
जोरी गाँव, प्रखण्ड -लोहरदगा
जिला –लोहरदगा,
रांची (झारखंड)
PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/ATY-1578/JH/5/2024-APCR

Date- 25/04/202

झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले अंतर्गत जोरी गाँव मे मुसलमान समुदाय के कुछ आपराधिक प्रवृति के लोगों द्वारा जनजातीय समाज के पूजन स्थलों को अतिक्रमण करने/अपवित्र करने/अपमानित करने के संबंध मे श्री सुखनाथ उरांव, ग्राम प्रधान, जोरी गाँव, जिला -लोहरदगा, झारखंड, रांची एवं अन्य का संयुक्त अभ्यावेदन - श्री समीर उराँव, माननीय सांसद (राज्य सभा) के पत्र दिनांक 04.01.2024 के द्वारा प्राप्त हुआ। जिसके उपरांत आयोग के दल द्वारा दिनांक 11.03.2025 को किये गए स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट

श्रीमति डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देशानुसार घटना की संघीनता को देखते हुए एक स्थलीय निरीक्षण दल का गठन किया गया निरीक्षण दल 11 मार्च 2025 को झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले के जोरी गाँव का स्थलीय दौरा किया जिसमे आयोग के निम्नलिखित अधिकारी शामिल थे:

क्र. स.	नाम	पद
1.	श्री एच. आर. मीना	अनुसंधान अधिकारी
2.	श्री राहुल	अन्वेषक
3.	श्री सुभाशीष सोरेन	विधिक सलाहकार
4.	श्री राहुल यादव	विधिक सलाहकार

डॉ. आशा लकड़ा/Dr Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

51

1. प्रात 11 बजे आयोग का दल लोहरदगा जिले के सर्किट हाउस पहुंचे तथा वहां पर जिले के अधिकारीयों से वार्तालाप करने के पश्चात अधिकारीयों के साथ आयोग का दल घटना स्थल पर पहुंचे तथा प्रार्थी द्वारा बताये अनुसार दल सर्वप्रथम आस्था के प्रतीक करम वृक्ष के पास पहुंचे तथा देखा गया की उसे पूर्व में करम पेड़ को छीलने का प्रयास किया गया था जिसका अब प्रशासन द्वारा इलाज करवाया जा रहा है इसके सम्बन्ध में जनजातीय समुदाय (आदिवासी समुदाय) के लोगो का कहना था की अन्य समुदाय द्वारा जानबूझकर इसे कब्रिस्तान की सीमा में ले लिया गया है

Figure 1 करम वृक्ष के निरीक्षण दौरान

2. **देवी मण्डप**- देवी मंडप के बारे में शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह भूमि गैर-मजुंरुआ भूमि थी। तथा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं दिखता है। देवी मण्डप के दोनों तरफ से आने जाने का रास्ता है
   a. **माटी कोड़वन-** यह स्थान दोनों ही समुदायों के-लिए महत्वपूर्ण है। सभी यहीं से मिट्टी ले जाकर अपना पवित्र कार्य प्रारंभ करते हैं। वर्तमान में यह भूमि खली पड़ी हुई है। बस सफाई व् दीवार निर्माण की जरूरत है ताकि सभी समुदाय इनका इस्तेमाल कर सकें।
   b. **दही-सही स्थल-** दही सही स्थल की भूमि की डीड बनाकर बिक्री की गयी है अब इस पर मुस्लिम समुदाय का ईदगाह स्थित है।
   c. **महादेव स्थल-** निरीक्षण के दौरान यह पाया गया की इस स्थल पर अभी दोनों पक्षों व् ग्रामीणों में आपसी कोई विवाद नही है।
   d. **बजरंग बली चबुतरा:-** प्लॉट नं 88- जिसमे यहां हिंदु समुदाय के लोगो द्वारा रामनवमी के अवसर पर शौभा यात्रा निकाली जाती है जिसमे आसपास के 10-12 गाँवो के लोग शामिल होते है इस स्थल की जिला प्रशासन द्वारा मापी व् सीमांकन किया जाना जरूरी है तथा वहां पास

Dr Asha Lakra
Member
Government of India
Commission for Scheduled Tribes
New Delhi

ही नए जलकूप का निर्माण किया जा रहा है जिसे प्रशासन द्वारा अन्यत्र स्थान्तरित किया जाना चाहिए ताकि वहां साफ़ सफाई रह सके।

c. **डोल बगीचा प्लॉट** – यह भूमि सभी समुदायों के तीन व्यक्तियों के नाम से दर्ज है। वैसे वर्तमान में यहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है डोल बगीचा की खतियानी भूमि के प्रकार में बदलाव किया गया है जिसका ब्यौरा आयोग को दिया जाना चाहिए।

Figure 2 माटी कोडवन स्थल

आयोग की अनुशंशाए:-

1. करम वृक्ष के मामले में जिला प्रशासन दोनों पक्षों के बीच समन्वय व् वार्तालाप स्थापित करे व् आयोग का दोनों पक्षों से ही निवेदन है की वे आपसी मेल-मिलाप व् प्रशासन के सहयोग से मामले का निपटान करे
2. जिला प्रशासन माटी कोडवन स्थल की परिधि मापी द्वारा निश्चित कर उसकी बाउन्डरी वॉल का निर्माण करवाकर आयोग को सूचित करेंगे
3. जिला प्रशासन सीमा मापी कर बजरंग-बली चबूतरा के पास अतिक्रमण हटायेंगे तथा किसी योजना के तहत मंदिर के चबूतरे का विकास किया जाए व् निर्माणाधीन जलाशय को वहां से अन्यत्र स्थापित करेंगे ताकि वहां साफ-सफाई रहे
4. झखरा स्थल हेतु जिला प्रशासन सुगम रास्ते व् आने जाने की व्यवस्था करेंगे
5. सरना स्थल खातियान में बगीचे के नाम से दर्ज थी। इसकी बिक्री कैसे हुई तथा भूमि की प्रकार (किस्म) कैसे परिवर्तित हुई ?

25/04/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

नई दिल्ली

Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi